मौद्रिक नीति
(Monetary Policy)

मुद्रा-स्फीति का मुख्य कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रा एवं साख का आधिक्य है। अतः मौद्रिक एवं साख-नियंत्रण (credit control) के विभिन्न तरीकों को अपनाकर मुद्रा एवं साख की मात्रा में कमी की जानी चाहिए। इसके लिए मौद्रिक नीति (Monetary Policy) का सहारा लिया जाता है। मौद्रिक नीति अथवा मौद्रिक उपाय (Monetary Measures) देश के केन्द्रीय बैंक (Central Bank) द्वारा अपनाये जाते हैं। इसमें निम्नलिखित प्रमुख है:—

(1) पुनः कटौती की उच्चतर दरें (Higher Rediscount Rates):— केन्द्रीय बैंक पुनः कटौती की दरों अथवा बैंक दर (Bank Rate) में वृद्धि कर मुद्रा-स्फीति को रोक सकता है। जब केन्द्रीय बैंक देखता है कि देश में मूल्यों में तेजी से वृद्धि हो रही है तो वह बैंक दर को बढ़ा देता है जिससे व्यावसायिक बैंकों को भी ब्याज की दर में वृद्धि करनी पड़ती है। ब्याज की दर में वृद्धि करने से ऋण लेकर विनियोग करना पहले की अपेक्षा कम लाभदायक हो जाता है। इसके फलस्वरूप व्यवसायी बैंकों से कम ऋण लेते हैं जिससे साख का संकुचन होता है और व्यापार की मात्रा में कमी होती है तथा लोगों के आय व्यय में कमी होती है तथा मूल्य स्तर गिरने लगता है। लेकिन पुनः कटौती की दरों अथवा बैंक दर में वृद्धि करने की कुछ सीमाएँ होती है जिनमें निम्नलिखित प्रमुख है:—

(i) यदि बैंक दर में वृद्धि के साथ-साथ व्यावसायिक बैंकों की ब्याज की दरों में वृद्धि न हो तो बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों में गिरावट नहीं आयेगी और मुद्रा-स्फीति को रोका नहीं जा सकेगा।

Scanned with CamScanner

(ii) यदि व्यावसायिक बैंकों के पास अतिरिक्त वित्तीय साधन अधिक मात्रा में उपलब्ध हो तब भी पुनः कटौती की दरों में वृद्धि का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा या बहुत कम प्रभाव पड़ेगा।

(iii) यदि बीमा कम्पनियाँ अथवा अन्य इसी प्रकार की कम्पनियाँ अपने द्वारा रखी गई सरकारी प्रतिभूतियों को नकदी में परिवर्तित करने लगें तब भी बैंक-दर का प्रभाव घट जाता है।

(iv) यदि मुद्रा-स्फीति के समय व्यापारियों के बीच आशावादिता की लहर व्याप्त हो जाय तो उस समय बैंक-दर में वृद्धि कर साख की मात्रा में कमी करना कठिन हो जाता है।

(v) बैंक-दर में वृद्धि का प्रभाव तात्कालिक नहीं होता, क्योंकि इसका प्रभाव प्रत्यक्ष (direct) न होकर अप्रत्यक्ष (indirect) होता है। बैंक दर अन्य बाजार की दरों को प्रभावित कर ही साख की मात्रा पर प्रभाव डालता है।

(2) उच्चतर प्रारक्षण सम्बन्धी आवश्यकताएँ (Higher Reserve Requirements):- मुद्रा-स्फीति के समय साख का संकुचन करने के लिए केन्द्रीय बैंक अपने पास बैंकों द्वारा रखे जाने वाले सुरक्षित कोष (Reserve Fund) का प्रतिशत बढ़ा देता है। इसके फलस्वरूप बैंकों को केन्द्रीय बैंक के पास अधिक राशि जमा करनी पड़ती है जिससे उनके पास नकद-कोष की मात्रा कम हो जाती है और वे कम साख का निर्माण करते हैं। इस प्रकार केन्द्रीय बैंक सुरक्षित कोष के अनुपात को बढ़ाकर बैंकों के नकद-कोष में कमी लाकर मुद्रा-स्फीति का नियंत्रण करता है, क्योंकि इसके द्वारा बैंकों के साख-निर्माण की शक्ति कम हो जाती है। लेकिन इस तरीके की निम्नलिखित सीमाएँ हैं:-

(i) यदि बैंकों के पास पहले से ही अधिक मात्रा में जमा राशियाँ हों तो केन्द्रीय बैंक द्वारा सुरक्षित कोष के अनुपात में वृद्धि करने से उनके साख निर्माण की शक्ति में कमी नहीं होगी।

(ii) यदि बैंकों के पास अधिक मात्रा में सरकारी प्रतिभूतियाँ हों तो वे उन्हें बेच कर अतिरिक्त साधन प्राप्त कर सकते हैं और सुरक्षित कोष के अनुपात में वृद्धि करने का असर नहीं पड़ेगा।

(iii) यदि निर्यात के फलस्वरूप बैंकों के पास स्वर्ण की मात्रा में वृद्धि हो तब भी सुरक्षित कोष के अनुपात में वृद्धि का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(iv) जो बैंक न्यूनतम सीमा से भी अधिक नकद कोष रखते हैं उनपर इस तरीके का प्रभाव नहीं पड़ता।

Scanned with CamScanner

(3) खुले बाजार की क्रियाएँ (Open Market Operations):- मुद्रा-स्फीति की स्थिति में केन्द्रीय बैंक खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को बेचकर मूल्यों को बढ़ने से रोक सकता है। केन्द्रीय बैंक से प्रतिभूतियाँ खरीदने वाले या तो केन्द्रीय बैंक को नकद मुद्रा देते हैं या अपने बैंकों पर लिखे हुए चेक देते हैं। यदि वे नकद देते हैं तो देश में चलन में मुद्रा की मात्रा में कमी हो जाती है और मूल्य गिरते हैं। इसके फलस्वरूप मूल्यों में गिरावट की प्रवृत्ति आती है। इस प्रकार केन्द्रीय बैंक खुले बाजार में प्रतिभूतियों को बेचकर मुद्रा-स्फीति का नियंत्रण कर सकता है। लेकिन इस तरीके की भी कुछ सीमाएँ हैं जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं:-

(i) यदि बाजार में प्रतिभूतियों की माँग न हो तो खुले बाजार की क्रियाएँ सफल नहीं हो सकती।

(ii) यदि व्यावसायिक बैंक अपनी सरकारी प्रतिभूतियों को केन्द्रीय बैंक के हाथ बेचकर अथवा उसके आधार पर ऋण लेकर अपनी निधि में वृद्धि कर ले तब भी यह तरीका सफल नहीं होगा।

(iii) व्यावसायिक बैंकों द्वारा केन्द्रीय बैंक से अधिक ऋण लेने पर भी यह तरीका असफल हो जाता है।

(iv) यदि विदेश से अधिक मात्रा में स्वर्ण का आयात हो रहा हो तो इस तरीके का स्फीति-नियंत्रक प्रभाव कम हो जाता है।

(v) यदि मुद्रा-बाजार अविकसित है तब भी यह तरीका सफल नहीं होता।

(4). उपभोक्ता साख का नियंत्रण (Consumer Credit Regulation):- मुद्रा-स्फीति के समय केन्द्रीय बैंक उपभोक्ताओं द्वारा किये जाने वाले अत्यधिक व्यय को रोकने के लिए उपभोक्ता साख का नियंत्रण करता है। विकसित देशों में टिकाऊ उपभोग्य वस्तुओं (durable consumer goods) की किस्तों पर की जाने वाली खरीद मूल्य-तल को बहुत ही प्रभावित करती है। इनके लिए उपभोक्ता बैंकों से किस्त-साख (instalment credit) की सुविधा प्राप्त करते हैं। अतः स्फीति काल में केन्द्रीय बैंक इस प्रकार के नियम बनाता है जिनसे इस सुविधा को न्यूनतम सीमा तक कम करके उपभोक्ताओं के व्यय में कमी की जा सके। इसके लिए ये विधियाँ अपनायी जाती हैं:-

(i) कुछ चुनी हुई वस्तुओं के प्रारंभिक भुगतान (down payments) में वृद्धि।

(ii) अधिक से अधिक वस्तुओं पर उपभोक्ता-साख नियंत्रण लागू करना।

(iii) भुगतान-काल की अवधि में कमी करना।

Scanned with CamScanner

(5) उच्चतर सीमा - आवश्यकताएँ (Higher Margin Requirements) :-
मुद्रा-स्फीति को रोकने के लिए केन्द्रीय बैंक इस तरीके का भी सहारा लेता है। जब केन्द्रीय बैंक देखता है कि साख के अत्यधिक प्रसार के कारण मुद्रा-स्फीति की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो वह विभिन्न प्रकार की जमानतों के आधार पर दिये जाने वाले ऋणों की सीमा - आवश्यकता (Margin Requirement) में वृद्धि कर देता है। हम जानते हैं कि व्यावसायिक बैंक विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों या जमानतों के आधार पर ही अपने ग्राहकों को ऋण देते हैं लेकिन प्रत्येक जमानत पर वे एक सीमा (Margin) निश्चित कर लेते हैं जिसे जमानत के कुल मूल्य में से घटा दिया जाता है और शेष रकम तक ही ऋण दी जा सकती है। यह सीमा वास्तव में केन्द्रीय बैंक द्वारा निश्चित की जाती है।

(6) साख-नियंत्रण के अन्य तरीके (Other Methods of Credit Control) :-
उपर्युक्त तरीकों के अतिरिक्त केन्द्रीय बैंक साख-नियंत्रण के कुछ अन्य तरीकों को अपनाकर भी मुद्रा-स्फीति का नियंत्रण करता है। इन तरीकों में निम्नलिखित तरीके आते हैं :-

(i) साख की राशनिंग (Rationing of Credit)
(ii) प्रत्यक्ष कार्यवाही (Direct Action)
(iii) नैतिक दबाव (Moral Persuation)
(iv) प्रचार (Publicity)